भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2007

दिनांक 06.12.2005/15 अग्रहायण, 1927(शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा सेवा का पुनर्गठन

2007. श्री गिरधारी लाल भार्गवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है,
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ग) क्या इस सेवा का पुनर्गठन केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी एस एस एस) की तर्ज पर किया जाएगा ताकि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भारी गत्यावरोध को कम किया जा सके, और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत)

(क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का पुनर्गठन कर दिया गया है ।
(ख) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और बाद में कतिपय बाकी पदों के उन्नयन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सी एस ओ एल एस) का निम्नानुसार गठन किया गया हैः-

निदेशक	इस पद का उन्नयन 12000-16,500/-रूपए के वेतनमान से 14,300-18,300/-रूपए के वेतनमान में किया गया है ।
संयुक्त निदेशक	12,000-16,500/-रूपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के 20 नए पदों का सृजन किया गया है ।

इसके बाद निम्नलिखित बाकी ग्रेडों के वेतनमानों का उन्नयन/पुनर्गठन किया गया हैः-

उप निदेशक	कोई परिवर्तन नहीं ।
सहायक निदेशक	इस पद का उन्नयन 6,500-10,500/-रूपए के वेतनमान से 7,500-

	12,000/- रूपए के वेतनमान में कर दिया गया है ।
वरिष्ठ अनुवादक	इस पद का उन्नयन 5,500-9000/- रूपए के वेतनमान से 6,500-10,500/-रूपए के वेतनमान में कर दिया गया है ।
कनिष्ठ अनुवादक	इस पद का उन्नयन 5,000-8000/-रूपए के वेतनमान से 5,500-9000/--रूपए के वेतनमान में कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।